<u>न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 दौसा, जिला दौसा</u>
पीठासीन अधिकारी– सीमा करोल, आर.जे.एस.
(UID No. RJ00828)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या– 417/2016
सीआईएस संख्या–2124/2020
सीएनआर संख्या–RJDS020011952016

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, प्रथम, दौसा, जिला दौसा, राजस्थान ।

बनाम

कैलाश पुत्र रेवडमल, उम्र 45 साल, निवासी छारेडा ढाणी कोटडी वाली, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा राज०

–अभियुक्त

<u>अपराध अंतर्गत धारा 323, 354, 452 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थिति:–</u>
01. विद्वान अभियोजन अधिकारी, प्रथम, राज्य की ओर से।
02. श्री दिलीप, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से ।

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 10/03/2026

1. अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत अपराध धारा 323, 354, 452 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 13/07/2016 को थानाधिकारी, पुलिस थाना थाना नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसका एतद् द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया/पीड़िता गोपा उर्फ सुमन ने दिनांक 31/05/2016 को एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान के समक्ष इस आशय की पेश की थी कि दिनांक 27/05/2016 को दोपहर बाद करीब 4.00 बजे वह अपने घर पर बैठी हुई अपनी पुत्री को स्तनपान करा रही थी कि अचानक कैलाश पुत्र रेवडमल निवासी ढाणी कोटडी वाली छारेडा घर में घुसकर स्तनपान कराती प्रार्थीया के साथ छेडछाड करने लग गया, घर पर कोई नहीं था। प्रार्थीया चिल्लाई तो प्रार्थीया के साथ मारपीट की तो बांया हाथ टूट गया व बांय जंघा में डंडा की दे मारी, प्रार्थीया चिल्लाई तो पास खेत में काम कर रही रेखा, मौना दौडकर आई तो घर में कैलाश पुत्र रेवड मारपीट प्रार्थीया के साथ करता हुआ पाया गया व रेखा के घर में घुसते ही रेखा के साथ भी कैलाश ने मारपीट कर दी, उसके बाद प्रार्थीया के परिवार वाले पुलिस थाना नांगल प्रार्थीया को लेकर आया तो प्रार्थीया को ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल दौसा में भर्ती करवाया गया, जहाँ ईलाज से छुट्टी मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु पेश हैं.....आदि। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा पर मुकदमा संख्या– 103/16 जुर्म धारा 323, 354, 452 में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसन्धान अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध धारा 323, 354, 452 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध धारा 323, 354, 452 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त कैलाश को धारा 323, 354, 452 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

प्रकरण के इस स्तर पर परिवादिया गोपा उर्फ सुमन व अभियुक्त कैलाश द्वारा धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में स्वेच्छया राजीनामा पेश किया जिसे पक्षकारों को पढकर सुनाया समझाये जाने पर पक्षकारों ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छया से राजीनामा किये जाने का तथ्य रखने पर धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में पृथक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर अभियुक्त कैलाश को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में बरूये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। प्रकरण में अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध धारा 354, 452 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में अन्वीक्षा शेष रही।

4. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–1 डॉ० एस.के.खण्डेलवाल, पीडब्ल्यू–2 उमराव सिंह, पीडब्ल्यू–3 प्रहलाद, पीडब्ल्यू–4 गोपा, पीडब्ल्यू–5 रोशन परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–9 को प्रदर्शित कराया गया। तत्पश्चात् अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गई। तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित कराया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

5. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किय–

1. Ravindra Shantram Sawant Vs. State of Maharashtra,
   2002 Cr.L.J (SC) 3239
2. Karamjit Singh Vs. State (Delhi Administration)
   AIR 2003 SC 1311

6. इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि प्रकरण में अभियुक्त को गलत रूप से फंसाया गया है वह निर्दोष है। प्रकरण में परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का समर्थन नहीं किया है तथा प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह हैं किः–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 27/05/2016 को दोपहर करीब 4 बजे मौजा छारेडा में स्थित ढाणी कोहडीवाले में परिवादिया गोपा उर्फ सुमन के मकान के अन्दर अनाधिकृत प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार करते हुए परिवादिया के साथ लज्ञा भंग करने के आशय से पकड़कर छेडछाड कर उसकी लूगडी उतारकर उसे बेअदब कर आपराधिक बल का प्रयोग किया? इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 452, 354 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?

(2) यदि हाँ तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा ?

8. कहानी के अनुसार अभियुक्त द्वारा दिनांक 27/05/2016 को दोपहर करीब 4 बजे मौजा छारेडा में स्थित ढाणी कोहडीवाले में परिवादिया गोपा उर्फ सुमन के मकान के अन्दर अनाधिकृत प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार करते हुए परिवादिया के साथ लज्ञा भंग करने के आशय से पकड़कर छेडछाड कर उसकी लूगडी उतारकर उसे बेअदब कर आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने का आरोप है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा कुल 05 गवाहान को परीक्षित कराया गया है।

9. पत्रावली में गवाह पीडब्ल्यू–4 गोपा प्रकरण का परिवादिया है, जिसके साथ प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 अनुसार घटना कारित होना अंकित किया है, उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि करीब दस साल पहले शाम को चार बजे वह अपने घर के बार अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। तभी कैलाश आया और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गया, उसके साथ धक्का मुक्की की। फिर आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके उसे छुडाया। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दर्ज करायी गयी, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–3 है, उसके बयान 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी–4 है, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 है, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 जिनके एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही कराया गया। जिरह द्वारा अभियोजन में गवाह ने कथन किये कि यह कहना गलत है कि कैलाश द्वारा घर में घुसकर उसके साथ छेडछाड की गयी हो।

10. गवाह पीडब्ल्यू–5 रोशन द्वारा मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि करीब दस साल पहले उसे बनवारी के घर से आवाज आयी तो वह भागकर गया तो उसने देखा कि कैलाश गोपा के साथ घर के बाहर धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा कर रहा था। फिर उसने तथा आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके गोपा को छुडवा दिया। कैलाश द्वारा गोपा के साथ कोई छेडछाड नहीं की और झगड़ा भी घर के बाहर हुआ था। घटनास्थल का नक्शा मौका उसके सामने प्रदर्श पी–5 बनाया था। गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही कराया गया। जिरह द्वारा अभियोजन में गवाह ने कथन किये कि यह कहना गलत है कि कैलाश द्वारा गोपा के साथ घर में घुसकर छेडछाड व मारपीट की हो।

11. गवाह पीडब्ल्यू–3 प्रहलाद को भी प्रकरण में अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही कराया गया है जो मुख्य परीक्षण में अपने सामने कोई मारपीट नहीं होना, ना ही कैलाश द्वारा

छेडछाड करना बताता है। उक्त गवाह नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 उसके सामने नहीं बनाने का कथन करता है।

12. गवाह पीडब्ल्यू–1 डॉ० एस.के.खण्डेलवाल ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि दिनांक 02/06/2016 को उसने जिला चिकित्सालय दौसा में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत रहते हुए थाना नांगल राजावतान की तहरीर पर मजरूबा गोपा उर्फ सुमन के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसके बांये हाथ की कोहनी पर 3/4 गुणा 1 सेमी का खरोंटशुदा था, यह चोट सामान्य प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित होकर पांच से सात दिन पुरानी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किये कि यह चोट स्वकारित भी हो सकती है व कोहनी के बल गिरने पड़ने से भी आ सकती हैं

13. गवाह पीडब्ल्यू–2 उमराव सिंह प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रहे हैं, जो मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान संबंधी साक्ष्य देते हैं एवं किता की गयी फर्दों की ताईद करते हैं, बाद अनुसंधान अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने की पुष्टि करता है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किये कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 के गवाहान प्रहलाद, रोशन व परिवादिया सुमन है, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।

14. इस प्रकार अभियोजन की ओर से पेश की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करते हैं तो प्रकरण में अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 452, 354 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में प्रकरण के परिवादिया स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करती है कि वह करीब दस साल पहले शाम को 4 बजे वह अपने घर के बाहर अपनी बेटी के साथ बैठी थी तभी कैलाश आया उसके साथ लड़ाई झगड़ा व धक्का मुक्की करने लग गया एवं पीड़िता द्वारा स्वयं के साथ कैलाश द्वारा मारपीट करने व छेडछाड करने संबंधी तथ्यों से स्पष्टतः इनकार किया है। वहीं गवाह पीडब्ल्यू–5 रोशन जिसके द्वारा बीच बचाव कराया गया है, इस गवाह ने मुलजिम कैलाश द्वारा पीड़िता के साथ छेडछाड करने से स्पष्टतया इनकार किया है एवं घटना घर के बाहर होना बताया है। गवाह प्रहलाद पीडब्ल्यू–3 द्वारा स्वयं के सामने कोई मारपीट व छेडछाड नहीं होने की साक्ष्य देता है। इस प्रकार प्रकरण में स्वयं परिवादिया द्वारा स्वयं के साथ धक्का मुक्की होना ही जाहिर किया है, छेडछाड करने संबंधी तथ्यों से इनकार किया है एवं उक्त धक्का मुक्की भी घर के बाहर होना बताया है। पत्रावली में उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि परिवादिया के घर में घुसकर किसी तरह की घटना कारित की गयी है एवं परिवादिया व मुलजिम कैलाश के मध्य प्रकरण के अन्य अपराधों में राजीनामा भी हो गया है तथा उपरोक्त अपराधों के संबंध में न्यायालय के समक्ष गवाह स्वयं परिवादिया गोपा उर्फ सुमन, रोशन व प्रहलाद द्वारा जो साक्ष्य दी गयी है वह प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 के पूर्णतः विरोधाभासी प्रकृति रही है, जिससे अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध आरोपित अपराधों की पुष्टि नहीं होती है। जहां तक अभियोजन की ओर से दौराने बहस पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा नहीं होते हैं। इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य आयी है उससे अभियोजन पक्ष अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध मामले को सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। है। ऐसे में पत्रावली पर आयी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से अभियुक्त

कैलाश को अंतर्गत धारा 452, 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सन्देह के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

आदेश

18. अतः अभियुक्त कैलाश पुत्र रेवडमल, उम्र 45 साल, निवासी छारेडा ढाणी कोटडी वाली, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा राज० को धारा 452, 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोप से सन्देह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19. प्रकरण में अभियुक्त कैलाश को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया गया है।

20. धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 06 माह की अवधि में अपीलीय न्यायालय में तलब करने पर उपस्थित रहने के लिये दस हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि के स्वयं के बन्ध पत्र प्रस्तुत करे।

(सीमा करोल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
दौसा, जिला दौसा(राज०)

21. निर्णय आज दिनांक 10/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा करोल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
दौसा, जिला दौसा(राज०)